संख्या- 05/2018/1018/77-2-2018-3(बजट)/18

प्रेषक,

अरूण कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 सितम्बर, 2018

विषयः- निदेशालय भवन में अधिकारियों के हाल के सामने पोर्टिको का निर्माण कार्य, निदेशालय भवन के मुख्य द्वार के सामने पोर्टिको का निर्माण कार्य, निदेशालय भवन के दक्षिण की ओर बरामदे का निर्माण कार्य तथा निदेशालय भवन के अधिकारी हाल एवं कोष अनुभाग के सामने टाइल्स एवं बाहर की तरफ सी0सी0 के कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-73/एए-निदे/18, दिनांक 04-8-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखाशीर्षक "4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 04-अधिष्ठान (मुख्यालय) 24-वृहद निर्माण कार्य मद में शासनादेश संख्या-02/2018/526/77-2-18-3(बजट)/2017, दिनांक 09-5-2018 द्वारा आवंटित/निर्गत धनराशि रू0-31.04 लाख में से निदेशालय भवन में अधिकारियों के हाल के सामने पोर्टिको का निर्माण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-6.64 लाख, निदेशालय भवन के मुख्य द्वार के सामने पोर्टिको का निर्माण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-7.23 लाख, निदेशालय भवन के दक्षिण की ओर बरामदे का निर्माण कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-9.89 लाख एवं निदेशालय भवन के अधिकारी हाल एवं कोष अनुभाग के सामने टाइल्स एवं बाहर की तरफ सी0सी0 के कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-7.28 लाख कुल धनराशि रू0-31.04 लाख (रूपये इकतीस लाख चार हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त प्रस्तावित कार्यो का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में "4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 04-अधिष्ठान (मुख्यालय) 24-वृहद निर्माण कार्य मद में शासनादेश संख्या-02/2018/526/77-2-18-3(बजट)/2017, दिनांक 09-5-2018 द्वारा आवंटित/निर्गत धनराशि रू0-31.04 लाख में से किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तावित कार्यो को प्रारम्भ करने के पूर्व उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(3) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद का होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में प्रस्तावित कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों/मानको के अनुसार किया जाय तथा सम्पूर्ण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही 31 मार्च, 2019 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा परियोजना में प्रस्तावित कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा उक्त निर्माण कार्यो के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 05/2018/1018(1)/77-2-2018-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in